तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	21/12/2021 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 31/1/2022 को पेश हो। सीडर	
	31/1/2022 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 9/3/2022 को पेश हो। सीडर	
14/2/2022	14/2/2022 पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण (1) श्रीमति लीला देवी w/o मीठालाल (2) मोभा पुत्री मीठालाल (3) आमा पुत्री मीठालाल कि ओर से सहमति-अपत्र-पत्र श्रीमति लीलादेवी के नाम अपत्र-पत्र पेश किया (4) मुकेश पुत्र मीठालाल (5) दीपिका पुत्री मीठालाल (6) गोपाल पुत्र मीठालाल जाति लोहार निवासी आटीया हाल भैरवनगर देसूरी ने उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र वास्ते मूल वाद पत्रावली नियत तिथी 9/3/2022 से आज तलब करने हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे पत्रावली नियत तिथी से तलब कर आज पेश हुई। साथ ही अनवान वादी लीलादेवी व अन्य v/s मीठालाल व अन्य अन्तर्गत धारा 53, 83, 89, 188, RTAct 1955 मे प्रार्थना-पत्र वाद विड्रावल करने बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अब जमीन को लेकर दोनो पक्षकारो के बीच कोई विवाद नही रहा है, अतः वाद विड्रावल करावे। जिस पर वादीगणो को सुनकर मूल वाद खारिज किया गया। चुकि मूल वाद खारिज होने से प्रार्थना पत्र [illegible] कोई महत्व नही होने से प्रार्थना [illegible] 12 RTAct प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] निर्णय आज दिनांक 14/2/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:11:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)